خطبہ حجۃ الوداع

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اپریل ۵۷۱ء - مئی ۶۳۲ء

۹؍ذی الحجہ ۱۰ھ

(۱۷؍فروری بروز جمعہ ۶۳۲ء)

مقام

میدان عرفات

(نزد مکہ مکرمہ)

خطبہ حجۃ الوداع

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اپریل ۵۷۱ء - مئی ۶۳۲ء

۹؍ذی الحجہ ۱۰ھ

(۱۷؍فروری بروز جمعہ ۶۳۲ء)

مقام

میدان عرفات

(نزد مکہ مکرمہ)

☆ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کو بادشاہی اور اسی کی حمد ہے۔ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ کوئی نہیں مالک مگر وہی اکیلا اللہ۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے مخالفین کو شکست دی۔

☆ ہاں، جاہلیت کے سارے برے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ جاہلیت کے سارے خون کا بدلہ معاف کر دیا گیا اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان ربیعہ بن حارث کے بیٹے عامر (میرے بھتیجے) کا خون باطل کر دیتا ہوں (یعنی بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، دشمن کو معاف کرتا ہوں)

☆ جاہلیت کے تمام سود مٹا دیئے گئے اور سب سے پہلا سود جو میں مٹاتا ہوں وہ میرے اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا ہے۔

☆ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔

☆ تمہارے غلام .... تمہارے غلام .... ان کے ساتھ انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔

☆ آپس میں تمہاری جان اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی عزت کے قابل ہیں جتنا آج کے دن اس پاک مہینہ میں اور اس پاک شہر میں (مکہ میں حج کے دن)

☆ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

☆ لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ ہاں، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔

☆ اللہ نے ہر حقدار (بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، شوہر، بیوی، بھائی، بہن) کو اس کا حق دے دیا، (یعنی وراثت کا قانون بنا دیا) اب کسی وارث کے حق میں

وصیت جائز نہیں۔ (جو وارث نہیں ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی وصیت کی جاسکتی ہے۔)

☆ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولیٰ (مالک) کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔

☆ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر (ماں باپ سے) پیدا ہوا۔ زانی کے لیے پتھر ہے (یعنی پتھر سے مار ڈالنے کی سزا) اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

☆ ہاں بیوی کو اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اجازت کسی کو کچھ دینا جائز نہیں ہے۔

☆ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے۔ (آپ کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری اور واجب ہے)

☆ ہاں، تم سے اللہ کے دربار میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ جو لوگ حاضر تھے (قریب ایک لاکھ) وہ بولے "ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔"

☆ اے اللہ تو گواہ رہ.........

☆ اے اللہ تو گواہ رہ.........

☆ اے اللہ تو گواہ رہ.........

☆☆☆

منیٰ یا جمرہ کا خطاب (۱۸ر فروری بروز سنیچر ۶۳۲ء)

☆ مذہب میں اللہ کی بتائی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ کر برباد ہوئیں۔

☆ ہاں، اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا آج زمانہ گھوم کر اسی فطرت پر آگیا۔ تمہاری جانیں اور تمہاری جائیداد آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسی ہی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن (حج) اس عزت کے مہینہ میں اور اس عزت

والی آبادی میں (یعنی شہر مکہ میں)

☆ سال کے بارہ مہینے جن میں چار مہینے قابلِ احترام ہیں تین تو لگاتار مہینے: ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور چوتھا رجب۔

☆ ہاں، دیکھنا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھے گا۔

☆ ہاں، مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ باپ نہیں۔

☆ اگر تم پر کوئی حبشی بریدہ (ناک، کان کٹا) غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو اللہ کی کتاب کے مطابق تم کو لے چلے تو اس کا کہنا ماننا۔

☆ اب شیطان اس سے ناامید ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش (پوجا) ہوگی۔ البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا۔

☆ اپنے رب کی عبادت کرنا، پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا۔ تم اپنے رب کی جنت میں جگہ پاؤ گے۔

☆ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے جواب دیا "ہاں بے شک" اللہ گواہ رہنا۔

جو یہاں حاضر ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔

ماخوذ: سیرت النبیؐ، جلد دوم، صفحہ ۱۰۰۔۹۳ از شبلی نعمانی و سلیمان ندوی

برائے ایصالِ ثواب

سید وہاب الدین محمد سبکتگین

ریٹائرڈ پروفیسر و صدر شعبۂ کیمیا (کیمسٹری)

پٹنہ سائنس کالج، پٹنہ یونیورسٹی، پٹنہ۔۵

"الفاطمہ ہاؤس، پتھر کی مسجد، نکاری روڈ، پٹنہ ۶

17. हां, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को जब पैदा किया था आज ज़माना घूम कर उसी फ़ितरत (प्रकृति, अवस्था, हालत) पर आ गया। तुम्हारी जानें और तुम्हारी जायदाद आपस में एक दूसरे के लिए वैसी ही इज़्ज़त के क़ाबिल हैं जैसे आज का दिन (हज)।, इस इज़्ज़त के महीने में और इस इज़्ज़त वाली आबादी में (यानी शहर मक्का में)।

18. हां, देखना मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि ख़ुद एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। तुमको अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। और वह तुम से तुम्हारे कामों के बारे में पूछेगा।

19. हां, मुजरिम (अपराधी) अपने जुर्म (अपराध) का आप ज़िम्मेदार है। हां, बाप के जुर्म (अपराध) का ज़िम्मेदार बेटा नहीं और बेटे के जुर्म (अपराध) का जवाबदेह बाप नहीं।

20. अगर तुम पर कोई एक हब्शी (काला नाक-कटा ग़ुलाम) भी सरदार बना दिया जाए जो अल्लाह की किताब (कुरआन मजीद) के मुताबिक़ (अनुकूल) तुम को ले चले, तो उसका कहा मानना।

21. हां, अब शैतान इस से नाउम्मीद हो गया कि तुम्हारे इस शहर में उसकी पूजा होगी। हां, छोटी-छोटी बातों में उसके कहने में आ जाओगे और वह उसी से ख़ुश होगा।

22. अपने पालनहार की इबादत (पूजा) करना, पांचों वक़्त की नमाज़ें पढ़ना, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना और मेरे हुक्मों को मानना। तुम अपने पालनहार की जन्नत (स्वर्ग) में जगह पाओगे।

23. क्या मैंने अपना पैग़ाम (संदेश) पहुँचा दिया? तो लोगों ने जवाब दिया, "हाँ बेशक" अल्लाह गवाह रहना,............................ जो यहाँ हाज़िर हैं, वह इस पैग़ाम (संदेश, बात) को उस तक पहुँचा दें जो यहाँ हाज़िर नहीं हैं"।

बराए इसाल-ए-सवाब

सैयद वहाबुद्दीन मुहम्मद सुबुक्तगीन

रिटायर्ड प्रोफ़ेसर व विभागाधयक्ष रसायन विभाग
पटना साईंस कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय
अलफातीमा हाउस, पत्थर की मस्जिद, पटना-4
(मार्च 2020)

9. अल्लाह ने हर हक़दार (बेटा, बेटी, मां, बाप, पति-पत्नी एवं निकट संबंधी) को उसका हक़ दे दिया (यानि विरासत का क़ानून बना दिया) अब और किसी को विरासत के हक़ में वसीयत जायज़ नहीं (जो वारिस नहीं है उनके लिये ज़्यादा से ज़्यादा एक तिहाई माल की वसीयत की जा सकती है)

10. जो लड़का अपने बाप के अलावा किसी और के नसब (वंश) से होने का दावा करे और जो ग़ुलाम अपने मौला (मालिक) के सिवा किसी और की तरफ़ अपनी निस्बत (वंशज) करे उस पर ख़ुदा की लानत (धितकार) है।

11. लड़का उसका है जिसके बिस्तर पर (यानि मां बाप से) वह पैदा हुआ। ज़नाकार (बलात्कारी) के लिए पत्थर है (यानि पत्थर से मार डालने की सज़ा)। और उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।

12. हां, पत्नी को अपने पति के माल में से बिना पूछे हुए किसी को कुछ देना जायज़ नहीं।

13. मैं तुम में एक चीज़ छोड़े जाता हूँ। अगर तुम ने इस को मज़बूत (बलपूर्वक) पकड़ लिया, तो फिर कभी गुमराह न होगे। और वह अल्लाह की किताब है (क़ुरआन मजीद)। (आप की सुन्नत (आदेश) पर अमल करना भी ज़रूरी (आवश्यक) है।)

14. हां, तुम से अल्लाह के दरबार में मेरे बारे में पूछा जाएगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? जो लोग हाज़िर थे (क़रीब एक लाख) वे बोले, "हम कहेंगे कि आपने अल्लाह की बात (संदेश, पैग़ाम) हम तक पहुँचाई, और अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया"। यह सुनकर आपने कहा, 'ऐ अल्लाह तू गवाह रह'।

मिना या जमरा का ख़िताब (भाषण)

18 फरवरी 632 ई. मक्का, (मिना या जमरा)

15. मज़हब (धर्म) में अल्लाह की बताई हुई हद (सीमा) से आगे न बढ़ना। तुम से पहली क़ौमें (जन-समूह) इसी से बरबाद हुईं।

16. हज के मसले (नियम) सीख लो, मैं नहीं जानता कि फिर हज कर सकूंगा।

1. अल्लाह के सिवा कोई माबूद (मालिक, पूज्य) नहीं। उसका कोई शरीक (साझी) नहीं। उसी को बादशाही और उसी की हम्द (तारीफ़, प्रशंसा, बड़ाई) है। वही मारता और जिलाता है। कोई नहीं है मालिक मगर वही अकेला अल्लाह। उसने अपना वादा (वचन) पूरा किया। अपने बन्दे की मदद की और अकेले सारे मुख़ालिफ़ीन (विरोधियों) को शिकस्त दी (पराजित किया)।

2. हां, जाहिलीयत (अज्ञानता, नासमझी) के सारे (बुरे) दस्तूर और रस्म-रिवाज मेरे दोनों पांव के नीचे हैं। अज्ञानता (ना समझी) के सारे ख़ून का बदला माफ़ कर दिया गया। और सबसे पहले मैं अपने परिवार के ख़ून का बदला लेने का हक़ छोड़ता हूँ (यानि दुश्मन को माफ़ करता हूँ)।

3. जाहिलीयत (अज्ञानता, नासमझी) के तमाम सूद मिटा दिये गये। और सबसे पहला सूद जिस को मैं मिटाता हूँ, वह मेरे अपने परिवार का यानी अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब का है।

4. औरतों (महिलाओं, लेडीज़) के मामले में अल्लाह से डरो। तुम्हारा हक़ औरतों पर है, और औरतों का हक़ तुम पर है।

5. तुम्हारे गुलाम........(बंधुआ जन) तुम्हारे गुलाम, उनके साथ न्याय करो। जो ख़ुद खाओ वह उनको खिलाओ और जो ख़ुद पहनो वह उनको पहनाओ।

6. आपस में तुम्हारी जान और तुम्हारे माल एक दूसरे के लिए उतनी ही इज़्ज़त के क़ाबिल हैं जितना आज का दिन इस पाक महीने में और इस पाक शहर में (मक्का में हज के दिन)

7. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और सारे मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं।

8. लोगों बेशक तुम्हारा रब (पालने वाला) एक है और बेशक तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने थे। हां किसी अरबी (अरब देशवासी) को किसी अजमी (अन्य देशवासी) पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फ़ज़ीलत (बड़ाई) नहीं मगर तक़वा (परहेज़गारी, अध्यात्म) के सबब (कारण) से।

इस्लाम धर्म

के

आख़िरी नबी

हज़रत मुहम्मद

(571 — 632 ई०)

(उन पर सलाम हो)

के

आख़िरी हज का ख़ुतबा (प्रवचन)

17 फरवरी 632 ई.

मक्का अरफ़ात

इस्लाम धर्म

के

आख़िरी नबी

हज़रत मुहम्मद

(571 — 632 ई०)

(उन पर सलाम हो)

के

आख़िरी हज का ख़ुतबा (प्रवचन)

17 फरवरी 632 ई.

मक्का अरफ़ात